राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

कोविड–19
अति आवश्यक

क्रमांकः आईडीएसपी / कोरोना / 2020 /   दिनांकः

Director,
Microchek Labs,
F-8, Brandaban Complex
A-13 Central Spine
Vidhyadhar Nagar, Jaipur

विषयः–संस्थान को काविड–19 की जांच करने हेतु अधिकृत करने बाबत्।
संदर्भः– आपका पत्र दिनांक 05.10.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा दिनांक 05.10.2020 को कोविड–19 की जांच करने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके फलस्वरुप आपके संस्थान को कोविड–19 की जांच निम्नलिखित शर्तों एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर करने हेतु अधिकृत किया जाता है :–

1. आप द्वारा अस्पताल में कोविड–19 की जांच राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही की जायेगी।
2. आप द्वारा की गई जॉचों के परिणाम की सूचना Health portal (https://health.rajasthan.gov.in/RTPCR) पर आवश्यकरुप से अपलोड की जावेगी।
3. आप द्वारा कोविड जांच से संबंधित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी सभी दिशा–निर्देशों की पालना अक्षरशः सुनिश्चित की जावेगी।
4. आप द्वारा कोविड–19 जांच की रिपोर्ट की सूचना निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं की ई–मेल आईडी rajasthan_idsp@yahoo.co.in, rmsc.mnjy@gmail.com, micro.rajinfo@gmail.com पर एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर व सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में नियमित रूप से प्रातःकाल एवं सायंकाल भिजवाई जायेगी।
5. आप द्वारा जांच से संबधित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा जारी सभी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
6. आपके द्वारा कोविड रोगी की जांच से संबंधित समस्त सूचनायें आर.टी.पी.सी.आर. एप एवं एस.आर. एफ. प्रपत्र में अंकित उपरान्त ही जांच की जावेगी।

उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी की गई है।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः आईडीएसपी / कोरोना / 2020 / 1776   दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एनएचएम।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर।
6. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, (ग्रुप–2) जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन–जयपुर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–प्रथम।
9. प्रभारी सर्वर रूम को संबंधित को ई–मेल करने व वेबसाईट पर अपलोड करने वास्ते।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।